



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-940/MPPP/2/2023-SSW

NOTICE

दिनांक: 21/06/2023


श्री एस. किशोर
अध्यक्ष,
कर्मचारी चयन आयोग,
पांचवा तल, लोधी रोड, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, ब्लॉक नं. 12,
नई दिल्ली - 110003
Tel. No: 01124361359

विषय: SSC के प्राधिकारियों द्वारा CHSL 2021 की परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ भेदभाव करने के संदर्भ में :- श्री दिनेश मीना, जिला दौसा, राजस्थान का दिनांक NIL का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री दिनेश मीना से दिनांक 20/01/2023 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

सं.


(एच.आर. मीना/H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

Dinesh Meena,
Village - Gopalpura, Post - Kaluwas,
Tehsil - Ramgard Pachwara,
District - Dausa (Rajasthan) -303505

NIC, NCST (please upload on the website)